हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

द्वितीय सत्र

मंगलवार, 3 अप्रैल, 2018/13 चैत्र, 1940(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित:**

(i) स्थगित (ii) दिन के लिए	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) **अतारांकित:**

दिन के लिए	पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे:**

   (1) **श्रीमती सरवीन चौधरी, शहरी विकास मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगी:-

   (i) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 30(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17; और

   (ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, प्रारूपकार, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या:टी0सी0पी0-(बी)1-1/2017(रूल्ज़)डीएम दिनांक 16.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.01.2018 को प्रकाशित ।

(2) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री,** कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(बी) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्री राकेश सिंघा, "जिला सिरमौर के अन्तर्गत पांवटा साहिब में मै0 इण्डियन टैक्नोमैक कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किए गए 3000 करोड़ रूपये के टैक्स घोटाले", से उत्पन्न स्थिति की ओर **उद्योग मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

4. विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्ताव :

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, वन मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि **हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 10)** को वापिस लिया जाये ।

5. विधायी कार्य:

सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना

(i) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2018

(2018 का विधेयक संख्यांक 4)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(ii) **श्रीमती सरवीन चौधरी, शहरी विकास मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगी कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018

(2018 का विधेयक संख्यांक 3)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

6. <u>नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव</u> :

श्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रस्ताव करेंगे कि:

"हिमाचल प्रदेश की जल संरक्षण नीति पर यह सदन विचार करे।"

शिमला-171 004
दिनांक: 2 अप्रैल, 2018

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)